

16/11  
मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

## न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. रामेश्वर लाल पुत्र सोहन गाडरी आयु वयस्क निवासी सालमपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा -वादी

बनाम

1. यशोदा विश्नोई पत्नी रामलाल विश्नोई आयु वयस्क निवासी दरीबा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. भैरू लाल पुत्र मगना गाडरी आयु वयस्क निवासी सालमपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. कमला पुत्री मगना गाडरी आयु वयस्क निवासी सालमपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. गीता पुत्री मगना गाडरी आयु वयस्क निवासी सालमपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. छाउ पत्नी गेहरू गाडरी आयु वयस्क निवासी सालमपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. जडाव पत्नी मगना गाडरी आयु वयस्क निवासी सालमपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. तोलीराम पुत्र गोकल गाडरी आयु वयस्क निवासी सालमपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
8. पप्पुडी पुत्री मगना गाडरी आयु वयस्क निवासी सालमपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
9. प्यारा पुत्र गोकल गाडरी आयु वयस्क निवासी सालमपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
10. माया पुत्री मगना गाडरी आयु वयस्क निवासी सालमपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
11. मीतू पुत्र गोकल गाडरी आयु वयस्क निवासी सालमपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
12. रूकमा पत्नी गोकल गाडरी आयु वयस्क निवासी सालमपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
13. लादू पुत्र गोकल गाडरी आयु वयस्क निवासी सालमपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
14. सायरी पुत्री गोकल गाडरी आयु वयस्क निवासी सालमपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
15. हगामी पत्नी सोहन गाडरी आयु वयस्क निवासी सालमपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
16. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज0)
17. उप-पंजीयक, उप-पंजीयन कार्यालय भीलवाड़ा च

- प्रतिवादीगण

### वादपत्र घौषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क एवं 188, 207, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 60/2024 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री रणवीर सिंह<sup>ला</sup> राणावत उपस्थित - इस वाद में आज तारीख 14.07.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है-

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में कोई कार्यवाही नहीं चाहने से वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क एवं 188, 207, 209, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज किया जाता है।

14/7/25  
सहायक कलक्टर  
भीलवाड़ा  
भीलवाड़ा

2025) 656

शुक्रवार

उज्जैन

थरवाडा

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

सन्त व तारीख  
अहमदाबाद जो इस  
हुकम की तारीख  
में जारी है।

1025 पञ्जावसी जेठ 25) वादी माधवराज उफ-1  
 वादी माधवराज द्वारा आदालत की मादानीय  
 पर NPL पास मंजूर करे हुये आदालत में कोई  
 कार्यवाही नहीं चाले का निवेदन किया गया।  
 हाका उल्लेख आदालत में कोई कार्यवाही नहीं चाले से  
 वादी का आदालत किया जाता है नियम  
 सबे इतना ही सुनाया गया। उकी प्रतीति की है।  
 पञ्जावसी मंसल शुक्रार लेका हाकील हादर ले  
 लफा नम्बर से कम है।

Not done  
#



सहायक कलक्टर  
भीलवाड़ा

शुक्रवार 25 जेठ 2025  
 उज्जैन  
 थरवाडा  
 हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज